



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177675

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 4657

सन् 2026

सूरज

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : अमोल शर्मा, शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी कांत भट्ट

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. प्रकरण को पुनः पुकार में पुकारा गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश चंद्र गुप्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, उपस्थित हैं।
3. सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. इस न्यायालय ने दिनांक 21.05.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम प्रकाश गुप्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्होंने समय मांगा है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

4. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 0262 सन् 2026 के अंतर्गत धारा 85, 115(2), 351(2), 109(1) बीएनएस, थाना - कंकरखेड़ा, जिला- मेरठ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक पति है और उसकी शादी सूचनाकर्ता से दिनांक 25.11.2020 को हुई थी। अभियुक्त-आवेदक और सूचनाकर्ता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त-आवेदक के किसी दूसरी महिला के साथ नाजायज संबंध थे और इसी वजह से वह सूचनाकर्ता को खत्म करना चाहता था। घटना दिनांक 24/25.03.2026 की रात की है, जब अभियुक्त-आवेदक ने पीड़िता की पिटाई की और उसका गला दबाने की कोशिश की। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सूचनाकर्ता को लगी चोटें मामूली हैं, जैसा कि दिनांक 25.03.2026 की मेडिको-लीगल जांच रिपोर्ट से पता चलता है; रिपोर्ट में गर्दन के दाहिने हिस्से, छाती के दाहिने हिस्से और बाएं हाथ के निचले हिस्से पर तीन हल्की लाल खरोंचें दिखाई गई हैं। ये चोटें हत्या की कोशिश को नहीं दर्शाती हैं। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त-आवेदक जांच में सहयोग करना चाहता है, लेकिन उसे गिरफ्तारी का डर है। इसलिए, वह अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है।

6. अग्रिम जमानत का दायरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन अहम फैसलों में बताया गया है: गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य जो (1980) 2 एससीसी 565 में प्रकाशित है, सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य जो (2011) 1 एससीसी 694 में प्रकाशित है, और सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) व अन्य जो (2020) 5 एससीसी 1 में प्रकाशित है, इन फैसलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय, न्यायालय को आवेदक के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या



आशंका का मूल्यांकन आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप, अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता, अभियुक्त की विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की इच्छा तथा अभियुक्त के आचरण एवं फरार होने के जोखिम जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. यह अदालत प्रकरण में दलीलों, आरोपों की गंभीरता और गिरफ्तारी की आशंका के साथ-साथ अभियुक्त के भागने का जोखिम कम होने और विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने के उसके आश्वासन पर विचार करते हुए, उसे अंतरिम जमानत देने के विचार पर सहमत है।

8. इस प्रकरण में शामिल आवेदक - सूरज को इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। उसे अगली तारीख तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि का दो जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय से छूट मिलने के अलावा, तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(v) आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने के कारण विवेचना अधिकारी के सामक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।



9. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. इस प्रकरण को दिनांक 14.08.2026 को सूचीबद्ध करें।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख तक निर्देश प्राप्त कर लें।"

5. आज जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पहले के आदेश में दर्ज अपनी दलीलों को फिर से दोहराया।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई तथ्यों से जुड़ी दलीलों को गलत नहीं ठहरा सके।

8. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

9. यह प्रकरण पति-पत्नी के बीच विवाद से जुड़ा है। आवेदक, सूचनाकर्ता का पति है। घायल व्यक्ति को लगी चोटें मामूली किस्म की हैं। चोट की रिपोर्ट और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों को देखने पर, पहली नज़र में बीएनएस की धारा 109(1) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक इस न्यायालय के आदेश पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और यह नहीं कहा गया है कि उसने मिली इस छूट का गलत इस्तेमाल किया है।

10. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

11. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. अगर आवेदक - सूरज को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे मुकदमा अपराध संख्या 0262 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 85, 115(2), 351(2), 109(1) बीएनएस, थाना- कंकरखेड़ा, जिला-



मेरठ में, अग्रिम ज़मानत पर तुरंत रिहा किया जाएगा। यह रिहाई दिनांक 21.5.2026 के आदेश में बताई गई शर्तों और नियमों के आधार पर होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

21 अगस्त, 2026

सचिन